



2026:AHC: 62235

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1603 वर्ष 2026

अमित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सत्य प्रकाश, सुनील कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: धीरज कुमार पांडे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज कुमार पांडे के होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री विकास चौहान और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 के आदेश के माध्यम से आवेदक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था क्योंकि विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।

3- आज, जब वाद पुकारा गया, तो विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

4- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 697 वर्ष 2024 (राज्य बनाम अमित और अन्य) से उत्पन्न वाद संख्या 1282 वर्ष 2025, भा.द.सं. की धारा 376, 506, 120-बी के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि वर्तमान वाद में आवेदक को झूठा फँसाया गया है। आवेदक और पीड़िता विधिक रूप से विवाहित थे। हालाँकि, चूँकि पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध टूट गए थे, इसलिए पीड़िता ने पक्षकारों के बीच हुए विवाह को रद्द करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया। हिंदू विवाह अधिनियम की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 12 के अंतर्गत विवाह याचिका को परिवार न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील दायर किया गया है, जो प्रथम अपील संख्या 966 वर्ष 2023 है, जो इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ लंबित है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2024 में अत्यधिक देरी के साथ दर्ज की गई है। विवेचना के दौरान पुलिस को कोई अपराध बनता हुआ नहीं मिला और एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। विरोध पर, अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दिया गया और आवेदक को तलब किया गया है। आवेदक किसी भी अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं है और उसे संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। वह तर्क देते हैं कि वह न तो फरार होगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा और विचारण के शीघ्र निष्कर्ष में सहयोग करेगा।

6- विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक वर्तमान वाद का मुख्य अभियुक्त है। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। उसने पीड़िता को कोई हानिकारक पदार्थ खिलाकर उसका फायदा उठाया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया है। आवेदक ने पीड़िता की नग्न तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी भी दिया है। आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं और वह फरार है, इसलिए वह इस न्यायालय से किसी भी रियायत का हकदार नहीं है।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है। द.प्र.सं. की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन के आधार पर आवेदक को वर्तमान वाद में फँसाया गया है। यद्यपि द.प्र.सं. की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन 24.06.2021 को प्रस्तुत किया गया था, एफ.आई.आर. 27.11.2024 को दर्ज की गई। कहा जाता है कि आवेदक और पीड़िता ने आर्य समाज के माध्यम से विवाह किया था, जिसे प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील विचारार्थ लंबित है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने बलात्कार का अपराध नहीं किया है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 के आदेश के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वाद में विवेचना पूरी हो चुकी है और आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया था। न्यायालय ने एक विरोध याचिका पर आवेदक को तलब किया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उपरोक्त तथ्यों, आवेदक के खिलाफ लगाए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

8- उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- आवेदक- अमित की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा;

10- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन निर्णीत करने के लिए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

24 मार्च, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।